फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर, (SDO) मावली, उदयपुर

प्रार्थी : श्री धुलचन्द **विपक्षी : श्री गंगाराम**

किस्म मुकदमा – 212 रा.का. अधिनियम **पत्रावली संख्या : 69/22**

जीसीएमएस : 2022/278

कमांक	कार्यवाही विवरण	
	दिनांक : 09.09.2024 पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता उभय पक्षकारान उपस्थित। विपक्षी सं. 1 से 4, 7 से 10 द्वारा जवाब पेश किया। शामिल फाईल रहे। नकल दिलाई गई। विपक्षी सं. 5, 6 को पर्याप्त अवसर दिये जाने पर भी जवाब पेश नहीं किया। अतः जवाब का अवसर बन्द किया जाता हैं। उभय पक्षकारान की बहस सुनी गई। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया तथा प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर विपक्षीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाने का निवेदन किया। अधिवक्ता विपक्षीगण द्वारा अपनी बहस में जवाबदावें में अंकित तथ्यों को दोहराया तथा प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाने का निवेदन किया। प्रकरण के अवलोकन से प्रार्थीगण द्वारा बंटवाडे व स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया उसी के साथ अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। वर्तमान में वादग्रस्त भूमि के प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण खातेदार हैं। प्रार्थीगण अस्थाई निषेधाज्ञा से विपक्षीगण को पाबंद कराना चाह रहे हैं। मूल वाद बंटवाडे का होने से यदि विपक्षीगण को पाबंद नहीं किया जाता है एवं विपक्षीगण वादग्रस्त भूमि को खुर्द बुर्द कर देते है तो इससे प्रार्थीगण को अपूरणीय क्षति होगी एवं अनावश्यक पैचिदगीया बढेगी, परन्तु यदि मात्र विपक्षीगण को ही पाबंद किया जाता है तो इससे विपक्षीगण के हक अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव पडेगा। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र आंशिक स्वीकार किया जाकर उभय पक्ष को मूल वाद के निस्तारण तक पाबंद किया जाना न्यायहित में उचित प्रतीत होता हैं। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का न्यायहित में आंशिक स्वीकार योग्य पाया जाता हैं। **–: <u>आदेश</u> :–** परिणामस्वरूप प्राथीया का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का आंशिक स्वीकार किया उभय पक्षकारान के विरूद्व अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा इस अमर की जारी की जाती है कि मौजा सांगवा पटवार हल्का सांगवा तहसील मावली हाल घासा की नकल जमाबन्दी सम्वत् 2077–80 के खाता संख्या 125 पर दर्ज आराजी नम्बर 1146, 1147, 1152, 1170, 1172, 1867 से 1871, 1955 से 1959, 2705/349, 2706/349, 272, 273, 461, 462 किता 21 रकबा 4.6056 हेक्टेयर भूमि में उभय पक्षकारान मूल वाद के निस्तारण तक मौके एवं राजस्व रेकार्ड की यथास्थिति बनाये रखें। अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद रहे। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो। निर्णय खुले न्यायालय सुनाया गया। (मनसुख राम डामोर) सहायक कलक्टर (SDO) मावली Signature Not Verified Digitally signed by Mansukh Ram Damor Date: 2024.09.18 16:50:00 IST Reason: SelfAttested	